

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन/पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव



4

जिला - उड़ीसा
विकास खण्ड - विशुनपुरी
ग्राम पंचायत - पट्टेरा मुड़ी
समिति का प्रकार (एकल/बहुल) -

आज दिनांक 25/12-2023 को ग्राम पंचायत पट्टेरा मुड़ी के गांव _____ में एक बैठक सम्पादित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए -

आज की बैठक में ग्राम पंचायत _____ से सम्बन्धित एकल/बहुल ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित सदस्यों को समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया।

क्र. सं०	नाम	मोबाइल नम्बर	(महिला/ SC/ST)	आयु	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीलक्ष्मी देवी	9317232019	OBC	38	अध्यक्ष	श्रीलक्ष्मी देवी
2	किशन वर्मा	9305539022		50	सचिव	
3	वकिल गुप्ता	9940381196	OBC	30	सदस्य	Wakil Gupta
4	अरविन्द्र चौहान	843028029	OBC	32	सदस्य	Arvind Chohan
5	रामू गुप्ता	9792784119	OBC	39	सदस्य	Ramu Gupta
6	मनोज चौहान	63808165019	OBC	41	सदस्य	Manoj Chohan
7	कन्देसा चौहान	9554519244	OBC	22	सदस्य	Kandesa
8	विष्णी गुप्ता	9580771449	OBC	21	सदस्य	Vishni Gupta
9	शिव कुमार गुप्ता	9317232019	OBC	24	सदस्य	Shiv Kumar
10	मुन्ना कुमार	9838455699	S.C	25	सदस्य	Munna Kumar
11	सन्तू देवी	8601272920	S.C	34	सदस्य	Santu
12	प्रेमशीला देवी	9129556290	OBC	32	सदस्य	Premshila
13	गनेश चौहान	6363516611	OBC	25	सदस्य	Ganesh
14	विवेक कुशवाहा	9570070547	OBC	23	सदस्य	Vivek
15	सुनील गुप्ता	63881112956	OBC	28	सदस्य	Sunil Gupta
16	लक्ष्मण कुशवाहा	9428443510	OBC	32	सदस्य	Laxman
17	पृथ्वेश	9219852941	OBC	22	सदस्य	Purvesh



उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

1. हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को एकएचटीसी प्रदान कराना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बस्तियों से दूर स्थित छिट-पुट घरों को भी एकएचटीसी प्राप्त हो।
2. जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वीएपीओ) की तैयारी सुनिश्चित करना।
3. गाँव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव करना और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना।
4. केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एसडब्ल्यूएसएमए द्वारा यथा- निर्धारित एजेंसियों / विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं / वस्तुओं / सामग्री का प्रापण करना।
5. अंतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा-स्थिति 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है।
6. स्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंतः ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
7. सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना / ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए।
8. उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएं और उसका रख-रखाव करें, जो नकदी और/या वस्तु और/या श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत, प्रचालन एवं रख-रखाव लागत / जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
9. पीओआरएओ गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
10. जल शुल्क / प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना।
11. स्थानीय जल स्रोतों सहित अंतः ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना।
12. ग्राम पंचायत / ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
13. योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
14. अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
15. एक वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त / रिकॉर्ड रखना।
16. फील्ड जॉच किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं / छात्रों / महिलाओं को नियोजित / प्रशिक्षित करना।
17. राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

हस्ताक्षर एवं मोहर
सचिव

ग्राम पंचायत पट्टा
ग्राम प्रधान
हस्ताक्षर एवं मोहर
ग्राम प्रधान

आईओएसओ का नाम—
आईओएसओ कार्मिक का नाम व मोबाइल नम्बर—

